एस.एस. निज्जर से पहले, जे

फूल पति-अपीलकर्ता/वादी

बनाम

एच.एस.ई.बी. और दूसरा–प्रतिवादी/प्रतिवादी आर.एस.ए.

2000 की संख्या 3430

30 अप्रैल, 2002

पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड. द्वितीय- रूल 6.17 पारिवारिक पेंशन योजना, 1964– खंड 4(i) और 4(ii)—परिशिष्ट I—4 साल से अधिक समय तक सेवा करने के बाद, सेवा के दौरान अविवाहित कर्मचारी की मृत्यु–दावा

मृतक की विधवा माँ को पारिवारिक पेंशन दिये जाने हेतु- खंड 4(i) सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में पेंशन का दावा करने का अधिकार देता है, कर्मचारी को बिना ब्रेक के कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करनी चाहिए -निचली अपीलीय अदालत ने प्रावधान के विपरीत पेंशन देने से इनकार कर दिया है - उच्च न्यायालय पहले ही 6.17 की परिभाषा से माता-पिता को बाहर करना अनुच्छेद 14 अधिकारीतीत घोषित कर चुका है

- लागत सहित अपील की अनुमति।

माना गया कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को सही ढंग से राहत दी थी। विद्वान निचली अपीलीय अदालत ने तथ्यात्मक और साथ ही कानूनी प्रस्तावों की सराहना करने में गंभीर त्रुटि की। यह माना गया है कि अपीलकर्ता को पारिवारिक पेंशन से राहत नहीं दी जा सकती क्योंकि उसने केवल 'पारिवारिक पेंशन' की अनुमति दी है। मेरी सुविचारित राय है कि उपरोक्त निष्कर्ष तथ्यों या कानून में पूरी तरह से तर्कहीन और बिना किसी आधार के है। विद्वान निचली अपीलीय अदालत के अनुसार, मासिक पेंशन का अर्थ किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन है और इसका भुगतान केवल मृत कर्मचारी की सेवा पेंशन योग्य होने के बाद ही किया जाता है। तदनुसार, यह माना गया है कि चूंकि मृतक ने केवल चार साल और तीन महीने काम किया था, इसलिए कोई पेंशन नहीं दी जा सकती थी। यह निष्कर्ष विद्वान निचली अपीलीय अदालत द्वारा खंड 4(i) के बावजूद दिया गया है। पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के 4(i) में यह प्रावधान है कि सेवा

के दौरान मृत्यु के मामले में यदि कोई कर्मचारी बिना ब्रेक के निरंतर एक वर्ष की अवधि से अधिक काम करता है तो उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ मिलता है। विद्वान निचली अपीलीय अदालत का तर्क सीएल के विपरीत है। 4(i).

इसके अलावा, यह माना गया कि विद्वान निचली अपीलीय अदालत ने मासिक पेंशन और पारिवारिक पेंशन के बीच ग़लत तरीक़े से अंतर करने की कोशिश की है। पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के प्रावधानों पर पंजाब राज्य और अन्य बनाम खड़क सिंह कांग और अन्य, 1998(4) एसएलआर 594 में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा विचार किया गया था। डिवीजन बेंच ने देखा कि 1951 योजना के तहत, पारिवारिक पेंशन अनुदान के लिए परिवार की परिभाषा में माँ और पिता को भी शामिल किया गया। आज भी, नियम 6.17(बी) में पिता और माता (दत्तक माता-पिता सहित) को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से परिवार की परिभाषा में शामिल किया गया है, लेकिन माता-पिता को नियम 6.17 में शामिल नहीं किया गया है। पारिवारिक पेंशन का अनुदान.

आर.के. मलिक, अपीलकर्ता के वकील

के.एस. मलिक, प्रतिवादियों के वकील

प्रलय

एस.एस. निज्जर, जे.

(1) यह नियमित द्वितीय अपील 26 सितंबर की सिविल अपील संख्या 96 में श्री एन.सी. नाहटा, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (प्रथम), जींद द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ निर्देशित है। जिसका 4 नवम्बर, 1999 को निर्णय हुआ।

(2) क्या किसी मृत कर्मचारी की मां को पारिवारिक पेंशन देने से इनकार किया जा सकता है क्योंकि माता-पिता को पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के खंड 4 (ii) (परिशिष्ट ।) में दी गई "परिवार" की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। यह कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न है जो वर्तमान अपील में उठता/या विचाराधीन है।

(3) अपीलकर्ता का बेटा, धर्मबीर, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड (इसके बाद एच.एस.ई.बी. के रूप में संदर्भित) में नियमित आधार पर सहायक लाइन मैन के

रूप में कार्यरत था। वह 9 सितंबर, 1986 को सेवा में शामिल हुए और 20 दिसंबर, 1990 को सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए, उन्होंने प्रतिवादी-एच.एस.ई.बी. की चार साल तीन महीने सेवा की थी। अपीलकर्ता एक विधवा है, जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष है। मृत्यु के समय मृतक अविवाहित था। दलील दी गई कि मृतक के जीवनकाल के दौरान अपीलकर्ता उसके साथ रहती थी और उस पर निर्भर थी। उनका दावा है कि उनके पास आय का कोई और स्रोत नहीं है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपीलकर्ता के चार बेटे हैं। उनके दो बेटे हरिओम और चांद सिंह अविवाहित हैं। वे भी बेरोजगार हैं और अपीलकर्ता के साथ रह रहे हैं। उनके अन्य दो बेटे, राम कुमार और रघबीर शादीशुदा हैं और अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ अलग रह रहे हैं। चारों भाइयों के नाम मात्र चार किला जमीन है। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी-एच.एस.ई.बी. से सेवानिवृत्ति लाभ का दावा किया। अपीलकर्ता को सेवानिवृत्ति लाभ का कुछ हिस्सा भुगतान किया गया था। रुपये की राशि. दिसंबर, 1991 में मृतक की मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के लिए 7200 रुपये का भुगतान किया गया था। मृतक कर्मचारी के आश्रित के रूप में जी.पी.एफ. का बकाया, अनुग्रह राशि और मासिक पेंशन जारी करने के लिए मुक़द्दमे में अपीलकर्ता ने प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए विशेष यज्ञ की प्रार्थना की है उन्होंने प्रतिवादियों को मृत कर्मचारी के निकटतम रिश्तेदार को एच.एस.ई.बी. में नियुक्त करने का निर्देश देने की भी प्रार्थना की।

4) विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आंशिक रूप से मुकदमे का फैसला सुनाया। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में राहत से इनकार कर दिया गया है। हालाँकि, अपीलकर्ता को 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित पारिवारिक पेंशन से राहत दी गई है। यह पेंशन कर्मचारी अर्थात धर्मबीर, सहायक लाइन मैन की मृत्यु की तिथि से दी गई।

(5) प्रतिवादी-एच.एस.ई.बी. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जींद के समक्ष अपील की गई। इसे स्वीकार कर लिया गया है और अपीलकर्ता का मुकदमा खारिज कर दिया गया है।

(6) श्री आर.के. अपीलकर्ता के विद्वान वकील मलिक ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान निचली अपीलीय अदालत का निर्णय मुकदमे में उठाए गए मुद्दों पर तथ्यों और प्रासंगिक कानून पर ध्यान देने की पूरी कमी से ग्रस्त है।

(7) दूसरी ओर, श्री के.एस. मलिक, प्रतिवादी-एच.एस.ई.बी. के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया कि विद्वान निचली अपीलीय अदालत का निर्णय सही है।

अपीलकर्ता का दावा पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के दायरे में नहीं आता है। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, उन्होंने पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के खंड 4(ii) का स्पष्ट संदर्भ दिया है, जो इस प्रकार है:-

"(ii) इस योजना के प्रयोजनों के लिए "परिवार" में अधिकारी के निम्नलिखित रिश्तेदार शामिल हैं: -

(ए) पत्नी, पुरुष अधिकारी के मामले में;

(बी) महिला अधिकारी के मामले में पति;

((बी) महिला अधिकारी के मामले में पति;

(सी) नाबालिग बेटे; और

(डी) अविवाहित नाबालिग बेटियां।

नोट.–(सी) और (डी) में सेवानिवृत्ति से पहले कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे शामिल हैं।

नोट 2.–इस योजना के प्रयोजनों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद विवाह को मान्यता नहीं दी गई है।

नोट 3.–न्यायिक रूप से अलग हुई पत्नी/पति सरकारी कर्मचारी की पत्नी/पति की अपनी कानूनी स्थिति नहीं खोती है और इस प्रकार वह पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के लाभों के लिए पात्र है।

उन्होंने माननीय सर्वोच्च के निर्णय पर भी भरोसा किया ।हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य बनाम के मामले में न्यायालय।

केदार नाथ सूद और दूसरा

(9) श्री आर.के. अपीलकर्ता के विद्वान वकील मलिक ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान निचली अपीलीय अदालत का फैसला लेटर्स पेटेंट अपील नंबर 640 ऑफ 1990 स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर बनाम खड़क सिंह कांग में इस अदालत की डिवीजन बेंच द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है। और दूसरा (2), 20 जनवरी 1998 के निर्णय के विपरीत । विद्वान वकील ने जसविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य और अन्य (3) और लिच्छमी देवी बनाम हरियाणा राज्य (4) के मामले में इस न्यायालय के दो और निर्णयों का भी उल्लेख किया है।

(10) मैंने पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

(11) मेरी सुविचारित राय है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को सही ढंग से राहत दी थी। विद्वान निचली अपीलीय अदालत ने तथ्यात्मक और साथ ही कानूनी प्रस्तावों की सराहना करने में गंभीर त्रुटि की। निर्णय के पैराग्राफ 10 में, यह माना गया है कि अपीलकर्ता को पारिवारिक पेंशन की राहत नहीं दी जा सकती क्योंकि उसने केवल "मासिक पेंशन" का दावा किया है।

मेरी सुविचारित राय है कि उपरोक्त निष्कर्ष तथ्यों या कानून में पूरी तरह से तर्कहीन और बिना किसी आधार के है। विद्वान निचली अपीलीय अदालत के अनुसार, मासिक पेंशन का अर्थ किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन है और इसका भुगतान केवल मृत कर्मचारी की सेवा पेंशन योग्य होने के बाद ही किया जाता है। तदनुसार, यह माना गया है कि चूंकि मृतक ने केवल चार साल और तीन महीने तक काम किया था, इसलिए कोई पेंशन का भुगतान नहीं किया जा सकता था। यह निष्कर्ष 1964 की योजना में निहित प्रासंगिक प्रावधान के बावजूद विद्वान निचली अपीलीय अदालत द्वारा दिया गया है। योजना के खंड 4(i) का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

“................................सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में सरकारी कर्मचारी को न्यूनतम अवधि पूरी करनी चाहिए बिना किसी रुकावट के एक वर्ष की निरंतर सेवा”।

(12) यह देखते हुए कि मृत कर्मचारी ने चार साल से अधिक समय तक सेवा की थी, फिर भी निचली अपीलीय अदालत ने इस आधार पर पेंशन देने से इनकार कर दिया कि उसकी सेवा अभी तक पेंशन योग्य नहीं हुई है। यह तर्क पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 में निहित उपरोक्त प्रावधान के विपरीत है।

(13) विद्वान निचली अपीलीय अदालत ने भी 1990 के लेरटर्स पेटेंट अपील संख्या 640 में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा निर्धारित कानून का पालन न करने में एक गंभीर त्रुटि की। विद्वान न्यायाधीश ने उपरोक्त निर्णय को इस आधार पर अलग किया है कि डिवीजन बेंच पारिवारिक पेंशन के संबंध में मामले की सुनवाई कर रही थी, जबकि अपीलकर्ता ने वर्तमान मामले में कोई पारिवारिक पेंशन नहीं मांगी थी। मेरे द्वारा पहले ही यह माना जा चुका है कि विद्वान न्यायाधीश ने गलती से मासिक पेंशन और पारिवारिक पेंशन के बीच अंतर करने की कोशिश की है। खड़क सिंह के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 के प्रावधानों पर विचार किया गया था। वहीं, मृत सरकारी

कर्मचारी की विधवा मां ने पारिवारिक पेंशन का दावा किया था। इसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि पारिवारिक पेंशन योजना, 1964 में दी गई परिवार की परिभाषा में मृतक के माता-पिता शामिल नहीं थे। विद्वान एकल न्यायाधीश ने याचिका को स्वीकार कर लिया और पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड- II के नियम 6.17 को, माता-पिता को परिवार की परिभाषा से बाहर करना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के दायरे से बाहर घोषित कर दिया और इसे असंवैधानिक घोषित किया

डिवीजन बेंच ने पाया कि 1951 की योजना के तहत पारिवारिक पेंशन के अनुदान के लिए परिवार की परिभाषा में पिता और माता को शामिल किया गया था। आज भी, नियम'-6.17(बी) में, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से पिता और माता (दत्तक माता-पिता सहित) को परिवार की परिभाषा में शामिल किया गया है, लेकिन माता-पिता को इसमें शामिल नहीं किया गया है। पारिवारिक पेंशन अनुदान हेतु नियम 6.17. तथ्यात्मक और कानूनी स्थितियों पर गौर करने के बाद खड़क सिंह कांग के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच ने इस प्रकार निर्णय दिया:-

“8.

9.कवि कहते हैं, भगवान के बाद आपके माता-पिता हैं। नियम 6.17 का आदेश है कि न्यायिक रूप से अलग हुई पत्नी या पति के बगल में भी नहीं। जिन्होंने उसे जन्म दिया और बड़ा किया, उन्हें उसके परिवार में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है? यह तर्क के अनुकूल नहीं है. हम नहीं कह सकते-हां.

पारिवारिक पेंशन से संबंधित नियमों का उद्देश्य मृत उपकर्मचारी के परिवार के सदस्यों को जीविका के साधन उपलब्ध कराना है। यह कोई अज्ञात बात नहीं है कि न केवल विधवा और बच्चे बल्कि अक्सर वृद्ध माता-पिता भी अपनी आजीविका के लिए अपने बेटे पर निर्भर होते हैं। ऐसे आश्रितों की सहायता के लिए पारिवारिक पेंशन का प्रावधान किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि माता-पिता को उन व्यक्तियों की सूची से बाहर करने का कोई वैध आधार नहीं है जो कर्मचारी की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन के अनुदान के हकदार होने चाहिए।

10. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि प्रत्येक कार्यकारी कार्रवाई और विशेष रूप से पेंशनभोगी लाभ के अनुदान को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियम जैसे विधायी उपाय को तर्कसंगतता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए जैसा कि अनुच्छेद के तहत विचार किया गया है।

संविधान के 14. माना जाता है कि मृत कर्मचारी के माता-पिता ग्रेच्युटी अनुदान के लिए पात्र हैं। वे कुछ प्रकार की पेंशन के अनुदान के लिए भी पात्र हैं। ऐसे कर्मचारी के मामले में जिनकी शादी भी नहीं हुई है, वे पारिवारिक पेंशन के अनुदान के हकदार नहीं हैं। नियम का कोई औचित्य नहीं है. यह पूरी तरह से मनमाना है. यह उचित नहीं है. इस प्रकार, पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II के नियम 6.17 को उस हद तक कायम नहीं रखा जा सकता है, मृत सरकारी कर्मचारी के माता-पिता को 'परिवार' की अवधारणा से बाहर करना उचित नहीं है।"

(14) उपरोक्त टिप्पणियाँ वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर पूरी तरह लागू होती हैं।

(15) प्रतिवादी-एच.एस.ई.बी. के लिए विद्वान वकील। केदार नाथ सूद के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया था। उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों में पूरी तरह से अनुपयुक्त है। उस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सी.सी.एस. के नियम 54(14)(बी)(i) पर विचार कर रहा था। (पेंशन) नियम, 1972, जिसके अनुसार पारिवारिक पेंशन पाने के लिए पिता परिवार का सदस्य या आश्रित नहीं होगा। उपरोक्त नियम की व्याख्या करते हुए यह माना गया कि पिता पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं होगा। हालाँकि, यह भी देखा गया कि अब समय आ गया है कि सरकार इस मामले जैसी स्थिति को कवर करने के लिए नियमों में संशोधन पर विचार करे। वर्तमान मामले के तथ्य खड़क सिंह (सुप्रा) के मामले के तथ्यों के लगभग समान हैं। इसमें निर्धारित कानून के मद्देनजर अपीलकर्ता को पारिवारिक पेंशन से इनकार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त निर्णय का बाद में जसविंदर कौर और लिछमी देवी के मामलों (सुप्रा) में समान परिस्थितियों में पालन किया गया है। उपरोक्त निर्णय इस न्यायालय पर बाध्यकारी हैं।

(16) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान नियमित दूसरी अपील को 5,000 लागत के साथ अनुमति दी जाती है ।

और विद्वान निचली अपीलीय अदालत की डिक्री को रद्द कर दिया जाता है और विद्वान ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री को बहाल कर दिया जाता है। उत्तरदाताओं-एच.एस.ई.बी. के अनुरूप भुगतान करने का निर्देश दिया गया है

विद्वान ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री के साथ दो महीने की अवधि के भीतर उसमें उल्लिखित ब्याज केसाथ देना होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसमीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TraineeJudicial Officer)

कैथल, हरियाणा